भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 223

जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

स्वापक पदार्थों की तस्करी

223. श्री मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में स्वापक पदार्थों के परिवहन और तस्करी के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान, विशेषकर देश के पत्तनों और सीमावर्ती क्षेत्रों से जब्त किए गए ऐसे स्वापक पदार्थों की कुल मात्रा और संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्त किए गए ऐसे स्वापक पदार्थों का वर्ष-वार कुल मूल्यांकन और उनके मूल देश का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वापक पदार्थों के परिवहन और तस्करी के संबंध में गिरफ़्तार किए गए और दोष-सिद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में स्वापक पदार्थों के परिवहन और तस्करी को कम करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) देश में स्वापक पदार्थों के परिवहन और तस्करी के संबंध में विशेष रूप से कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। हालाँकि, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ड्रग्स की जब्ती के संबंध में सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) से डेटा एकत्र करता है और उनका संकलन करता है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2004 और 2019 में स्वापक पदार्थों की खपत और दुरुपयोग पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया, जो भारत में ड्रग्स के उपयोग के विस्तार और पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

(ख) एवं (ग) पिछले 05 वर्षों के दौरान बंदरगाहों पर की गई ड्रग्स की जब्ती का विवरण **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, देश के सीमावर्ती राज्यों सहित पिछले 05 वर्षों के दौरान अखिल भारतीय जब्ती के आँकड़े **अनुलग्नक-ख** के रूप में संलग्न हैं। मूल देश के आधार पर ड्रग्स की जब्ती के आँकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) कुल गिरफ्तारियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-ग** में संलग्न है। इसके अलावा, एनसीबी और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) मामलों में दोषसिद्धि का राज्य-वार डेटा **अनुलग्नक-घ** में संलग्न है।

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में स्वापक पदार्थों के परिवहन एवं तस्करी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुलग्नक-ङ** के रूप में संलग्न हैं।

****

अनुलग्नक-क

दिनांक 03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 223

2019-2024 (नवंबर) तक बंदरगाहों पर जब्त एनडीपीएस की कुल मात्रा, जब्ती की संख्या और मूल्य का विवरण

वर्ष	जब्ती	मामलों की संख्या	जब्त ड्रग्स का अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार मूल्य
2019	130 कि.ग्रा.	1	260 करोड़
2020	191 कि.ग्रा.	1	382 करोड़
2021	3610 कि.ग्रा.	4	8,129 करोड़
2022	1161 कि.ग्रा.	10	2,417 करोड़
2023	1 कि.ग्रा.	1	5 करोड़
2024*	94,19,000 टैबलेट	2	376 करोड़

*वर्ष 2024 अनंतिम आँकड़े

(स्रोत: एनसीबी)

अनुलग्नक-ख

दिनांक 03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 223

2019-2024 तक पूरे भारत में जब्त एनडीपीएस की कुल मात्रा, जब्ती की संख्या और मूल्य का विवरण

वर्ष	जब्ती (कि. ग्रा. में)	मामलों की संख्या	जब्त ड्रग्स का अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार मूल्य
2019	6,86,171	57,867	12,201 करोड़
2020	10,82,511	55,622	14,982 करोड़
2021	16,33,592	68,144	23,931 करोड़
2022	12,53,662	1,02,769	19,275 करोड़
2023	13,89,725	1,09,546	16,123 करोड़
2024 *	10,87,173	72,496	16,966 करोड़

* अनंतिम आँकड़े

(स्रोत: एनसीबी)

अनुलग्नक-ग

दिनांक 03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 223

2019-2024 तक एनडीपीएस मामलों में कुल गिरफ्तारियों की राज्य-वार संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
अंडमान एवं निकोबार	166	96	52	74	103	117
आंध्र प्रदेश	2040	2388	4204	3350	5359	3707
अरुणाचल प्रदेश	216	231	462	541	389	323
असम	1267	1731	3918	4753	4843	3765
बिहार	345	1087	1518	1837	1989	687
चंडीगढ़	288	187	132	224	195	111
छत्तीसगढ	963	1239	1531	1756	1945	1827
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	13	12	9	10	15
गोवा	236	198	155	194	165	162
गुजरात	453	495	876	849	803	757
हरियाणा	3229	4061	3400	5025	4801	2685
हिमाचल प्रदेश	1931	1895	2235	2215	3004	2234
जम्मू एवं कश्मीर	1700	1769	2217	2755	3072	1673
झारखंड	342	550	966	648	789	844
कर्नाटक	1732	5841	6834	6884	3843	1258
केरल	11009	6025	7271	29527	33191	24517
लद्दाख	0	0	8	3	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	6	0
मध्य प्रदेश	4287	4460	5500	6082	4969	4179
महाराष्ट्र	1565	1349	4016	11400	14372	7433
मणिपुर	422	381	417	643	354	95
मेघालय	159	120	117	243	349	157
मिजोरम	1244	707	714	1129	1458	1026
नागालैंड	183	54	201	291	492	273
नई दिल्ली	1125	1140	917	1573	1655	946
ओडिशा	1491	2078	2683	3521	4585	3896
पुदुचेरी	45	66	129	273	356	199
पंजाब	15449	10251	13345	16831	15870	9734
राजस्थान	2945	3898	3941	4515	6001	5745
सिक्किम	24	26	80	68	38	27
तमिलनाडु	5631	7198	9632	588	421	113
तेलंगाना	1103	1097	2999	3036	3066	3596
त्रिपुरा	509	406	454	768	1059	730
उत्तर प्रदेश	10138	9171	7507	10732	10212	7460
उत्तराखंड	1494	1479	2152	1760	1721	1135
पश्चिम बंगाल	889	2154	2943	2419	1469	1304

* अनंतिम आँकड़े

(स्रोत: एनसीबी)

अनुलग्नक-घ

दिनांक 03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 223

2019-2024 तक एनसीबी द्वारा दोषसिद्धि मामलों की कुल राज्यवार संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	1	3	0	2	2	1
बिहार	7	0	9	6	15	16
चंडीगढ़	8	7	0	1	0	0
छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	1
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	1	2	0
गुजरात	1	4	4	2	11	4
हरियाणा	0	0	2	0	4	2
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	0
जम्मू एवं कश्मीर	1	0	1	1	0	1
झारखंड	9	3	1	4	8	2
कर्नाटक	0	0	2	4	3	1
केरल	0	1	3	0	0	1
लद्दाख	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	5	3	2	2	11	9
महाराष्ट्र	2	3	2	0	1	1
मणिपुर	13	2	1	1	3	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
नई दिल्ली	15	4	5	3	1	0
ओडिशा	2	0	0	0	1	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	4	3	9	6
राजस्थान	4	3	3	2	4	12
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	10	9	2	12	9	7
तेलंगाना	0	0	0	0	0	2
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	4	1	3	6	12	19
उत्तराखंड	1	1	0	1	0	0
पश्चिम बंगाल	6	0	4	3	6	5

* अनंतिम आँकड़े

(स्रोत: एनसीबी)

दिनांक 03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 223

2019-2024 तक सीबीएन द्वारा दोषसिद्धि मामलों की कुल राज्यवार संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020 से 2024
मध्य प्रदेश	9
राजस्थान	9

(स्रोत: सीबीएन)

अनुलग्नक-ङ

दिनांक 03.02.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित संसद प्रश्न संख्या 223

देश भर में स्वापक पदार्थों के परिवहन और तस्करी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर विचार करते हुए, या दुरुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की प्रकृति और प्रभावों के संबंध में उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राजस्व विभाग के नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 2(xi)(ख) के तहत 134 स्वापक औषधियों, धारा 3 के तहत 173 मनःप्रभावी पदार्थों और धारा 9क के तहत 45 नियंत्रित पदार्थों को सूचीबद्ध किया है ताकि एनडीपीएस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक हित में उचित विनियमन, नियंत्रण या निषेध किया जा सके।

2. स्वापक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए डीआरआई एवं सीमाशुल्क क्षेत्रीय संरचनाएं निरंतर निगरानी रखते हैं एवं आसूचना, अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) की सहायता से यात्रियों का रूप-रेखण, जोखिम-आधारित अवरोधन एवं लक्ष्यीकरण, गैर-अंतर्वेधी निरीक्षण जैसे कि सामान व कंटेनर स्कैनिंग, और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय जैसे परिचालनात्मक उपाय करते हैं। तस्करी के नए तरीकों के बारे में क्षेत्रीय संरचनाओं को नियमित रूप से सुग्राहित किया जाता हैं। स्वापक पदार्थों की तस्करी के मामलों का पता चलने पर, तस्करी के अभियुक्तों की गिरफ़्तारी व अभियोजन समेत कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

3. मांग में कमी लाने के लिए, एनसीबी ने **मिशन स्पंदन** की शुरुआत की है और आध्यात्मिक जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग और मनःप्रभावी पदार्थों की लत से निपटने के लिए 05 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत में ड्रग्स की तस्करी और उनके दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य की ड्रग्स कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र स्थापित किया है। एनसीबी द्वारा एक एनसीओआरडी पोर्टल विकसित किया गया है। यह ड्रग्स कानून प्रवर्तन से संबंधित जानकारी के लिए एक संपूर्ण पोर्टल है। एनसीओआरडी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नार्को-अपराधियों का डेटा, कानूनी जानकारी, राज्यों द्वारा की गई अनुकरणीय पहल आदि जैसे विषयों को एनसीओआरडी पोर्टल पर शामिल किया गया है।

5. एनसीओआरडी की 5वीं शीर्ष स्तरीय समिति की बैठक के परिणामस्वरूप, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में कार्य करेगी और विभिन्न स्तरों पर एनसीओआरडी बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।

6. एनसीबी ड्रग्स की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए आंध्र प्रदेश के एएनटीएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाने हेतु समन्वय करती है।

7. वर्ष 2021-22 में आंध्र/ओडिशा सीमा पर अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर) जिले में गांजे की खेती को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन 'परिवर्तन' चलाया गया था। फसल विनाश अभियान 08 चरणों (30.10.2021 से 11.01.2022 तक) में चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 9250 करोड़ रुपये मूल्य की 7552 एकड़ गांजा की कुल फसल नष्ट की गई, जिसमें से लगभग 400 एकड़ को एजेंसियों द्वारा जागरूकता प्रयासों के कारण ग्रामीणों ने स्वयं नष्ट कर दिया। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कुल 6,131 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 17,278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

8. नार्को-आतंकवाद के मामलों सहित महत्त्वपूर्ण ड्रग मामलों की जांच की निगरानी के लिए, भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2019 को महानिदेशक, एनसीबी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है। अब तक, केंद्रीय स्तर पर 09 जेसीसी बैठकें और राज्य स्तर पर 07 जेसीसी बैठकें आयोजित की गई हैं।

9. देश की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण की दिशा में, एनसीबी अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षण दे रही है।

10. केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों में विद्यमान फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

11. पुलिस आधुनिकीकरण योजना: फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय से स्वापक पदार्थ नियंत्रण सहायता के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता हेतु योजना।

12. "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता" योजना के अंतर्गत पात्र राज्यों को उनकी मादक पदार्थ रोधी इकाइयों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

13. एमएसी तंत्र के तहत डार्कनेट और क्रिप्टो-करेंसी पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका ध्यान नार्को-तस्करी को सुगम बनाने वाले सभी प्लेटफार्मों की निगरानी, एजेंसियों/एमएसी सदस्यों के बीच ड्रग्स की तस्करी पर इनपुट साझा करने, ड्रग्स के नेटवर्क को रोकने, कार्यप्रणाली और रुझानों को लगातार समझने के साथ साथ नोड्स के नियमित डेटाबेस अपडेट और संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा पर केंद्रित है।

14. सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों (बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी) तथा आरपीएफ और एनआईए जैसी अन्य एजेंसियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

15. भारत के भीतर और विदेशों के साथ नियमित रूप से आसूचना साझाकरण और नियंत्रित परिदान ऑपरेशन किए जाते हैं ।

16. एनसीबी को मजबूत करने और पूरे भारत में उसकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एनसीबी में विभिन्न स्तरों पर 425 पद सृजित किए गए हैं। एनसीबी की स्वीकृत संख्या **1598** तक बढ़ा दी गई है।

17. एनसीबी के प्रतिनिधि ड्रग्स के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों के विरुद्ध समाज के कमजोर वर्गों को जागरूक करने के लिए नशा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियमित आधार पर स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कर रहे हैं।

18. ड्रग्स के बारे में जागरूकता कार्यक्रम: ड्रग्स के दुरुपयोग और इसके स्वास्थ्य और आर्थिक लागत पर जानकारी संकलित कर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों/कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भेजा गया है ताकि शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों जागरूक किए जा सकें।

19. ड्रग्स के दुरुपयोग और उनके दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एनसीबी प्रत्येक वर्ष 26 जून को एनसीबी के सभी क्षेत्रीय इकाइयों में ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन करती है।

20. पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से नियमित रूप से रैलियां, नाटक आयोजित किए जाते हैं।

21. विशेष अवसरों पर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ड्रग जागरूकता के एसएमएस अलर्ट फ्लैश किए जाते हैं।

22. देश की विभिन्न सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के समन्वय से ड्रग्स के दुरुपयोग और तस्करी के दुष्प्रभावों के बारे में कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन।

23. नशीली दवाओं के मार्गों पर गहन निवारक और अवरोधन के प्रयास किए जाते हैं।

24. स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ और अग्रगामी रसायनों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए सूचना के आदान-प्रदान और जांच सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि।

25. माननीय गृह मंत्री के निर्देश पर, डार्कनेट के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। एनसीबी विशेष रूप से क्रिप्टो मुद्रा का उपयोग करके डार्कवेब पर ड्रग्स की अवैध तस्करी के विरुद्ध अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

26. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार, **24x7**, टोल-फ्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर के रूप में एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन **"मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र" (मानस)** बनाई गई थी। तदनुसार, मानस की कल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में की गई है जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस, चैट-बॉट, ई-मेल और वेब-लिंक जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा लॉग इन करने, पंजीकरण करने, ट्रैक करने और ड्रग्स से संबंधित मुद्दों/समस्याओं को हल करने के लिए एकल मंच प्रदान करती है।

27. केंद्र सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग) ने दिनांक 29.05.1989 को ड्रग्स के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष (एनएफसीडीए) का गठन एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 7क के तहत किया है जो निम्नलिखित के लिए व्यय का प्रावधान करता है:-:-

(क) स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार की तस्करी के रोकथाम के लिए;

(ख) स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए;

(ग) नशे के आदी लोगों की पहचान, इलाज एवं पुनर्वास करने के लिए;

(घ) ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए;

(ङ) ड्रग्स के दुरुपयोग के विरुद्ध जनता को शिक्षित करने के लिए; एवं

(च) नशे के आदी लोगों को औषधि की आपूर्ति करना जहां ऐसी आपूर्ति एक चिकित्सीय आवश्यकता है।

राजस्व विभाग, ड्रग्स के दुरुपयोग, नशा मुक्ति और पुनर्वास आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम करने के लिये एनएफसीडीए नियम, 2006 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रक्रिया के अनुसार पात्र आवेदकों को धनराशि स्वीकृत कर सहायता एवं सहयोग करता है। विगत तीन वित्तीय वर्षों में एनएफसीडीए के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि
2021-22	1,30,83,900.00
2022-23	57,92,375.00
2023-24	20,61,721.00